पत्रांक–10 / स्था0 व्यय आ0–32 / 2022–23 115/आ0 रा0.

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

कमल किशोर सोन,
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

उपायुक्त,
गुमला।

राँची, दिनांक– 11-01-2023

विषयः– स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष–2029–भू–राजस्व, लघुशीर्ष–104–सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध, उपशीर्ष–18–कोषागार में जमा राशि की वापसी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में व्यय हेतु वापसी इकाई विपत्र कोड–40S20290010418000886 में कुल ₹86,28,54,282/–(रूपये छियासी करोड़ अठाईस लाख चौवन हजार दो सौ बेरासी) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत अंकुवा आयरन एण्ड मैग्नीज अयस्क खनन परियोजना के विरूद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भू–हस्तांतरण के निमित्त जमा की गई राशि 86,28,54,282/–(छियासी करोड़ अठाईस लाख चौवन हजार दो सौ बेरासी) रूपये मात्र की राशि वापस किये जाने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर वाद संख्या–W.P (C) No.-2385/2020 JSW Steel Ltd. बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–06.12.2022 को पारित आदेश के आलोक में वापस किये जाने हेतु आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन भी दिया गया है। (DDO Code-GMLDAD 002)

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003, 245/बजट, दिनांक–30.03.2022 एवं 692/बजट, दिनांक–27.12.2022 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. उपायुक्त राशि की वापसी अपने स्तर से जाँचोपरान्त नियमानुसार करेंगे।

5. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या–40 के अतिरिक्त विपत्र कोड का स्पष्ट उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

7. अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–31.03.2023 तक अवश्य कर दिया जाय।

8. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

9. उपायुक्त, गुमला उक्त आवंटित राशि को पंद्रह दिनों के अंदर JSW Steel Ltd. को भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे एवं उक्त आशय की सूचना से विभाग को भी अवगत करायेंगे।

विश्वासभाजन,

11/01/2023

(कमल किशोर सोन)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 115/आ0रा0 राँची, दिनांक– 11-01-2023

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/जिला कोषागार पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/01/2023

सरकार के प्रधान सचिव